

कार्यालय—पशु आहार निर्माणशाला किच्छा बाई पास रोड
रुद्रपुर (उधमसिंहनगर)

E-Mail id: aanchalcattlefeed@gmail.com

दूरभाष संख्या 9358672550

पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर के कार्यो हेतु
महिन्द्रा बुलेरों/समकक्ष वाहन निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र क्रमांक.....

निविदा प्रपत्र मूल्य :— 1180.00 रुपये (जी0एस0टी0 सहित)

निविदा सूचना No.-07(1-2)CFP/2026-27 Date 15.10.2026

सामान्य प्रबन्धक
पशु आहार निर्माणशाला
रुद्रपुर उधमसिंह नगर

:— निविदा प्रपत्र :—

तकनीकी बिड

कार्यालय—पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर (उधमसिंहनगर)।

निविदा प्रपत्र (मूल्य 1180.00 रूपया) (जी0एस0टी0सहित)

01. निविदादाता का नाम.....
02. पिता/पति का नाम.....
03. स्थाई पता.....
04. पत्र व्यवहार का पता.....
05. निविदा प्रपत्र मूल्य धनराशि..... दिनांक..... रसीद संख्या.....
- (क) बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... धनराशि..... बैंक का नाम.....
06. अर्नेस्ट मनी का विवरण :-
- (क) बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0संख्या..... दिनांक..... धनराशि.....
- बैंक का नाम.....
- (ख) नकद रसीद संख्या..... दिनांक..... धनराशि.....

07. वाहन का विवरण:-

क— वाहन का प्रकार/क्षमता:- महिन्द्रा बुलेरो/समकक्ष वाहन

ख— वाहन का पंजीयन संख्या (टैक्सी परमिट सहित) :-

08 निविदादाता निम्न प्रपत्रों की स्वं प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।

क— फर्म/निविदादाता का पैन कार्ड

ख— निविदादाता का आधार कार्ड नम्बर/मतदाता पहचान पत्र.

ग— वाहन के रजिस्ट्रेशन

घ— वाहन का बीमा पालिसी

ड— वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट

च—वाहन का टैक्सी परमिट

छ— निविदा मूल्य की जमा रसीद/बैंक ड्राफ्ट की मूलप्रति

ज— धरोहर धनराशि जमा करने सम्बन्धी संस्था की रसीद की मूलप्रति/बैंक ड्राफ्ट की मूलप्रति

झ—नये वाहन की स्थिति में प्रमाण पत्र—प्रारूप “अ”

हस्ताक्षर.....
नाम परिवहनकर्ता.....
स्थायी पता.....
.....
मोबाईल नम्बर.....

वित्तीय बिड

कार्यालय—पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)

महिन्द्रा बुलेरो /समकक्ष की दरों का विवरण निम्नवत अंकित करें

01.वाहन का किराया प्रतिदिन (अंको में) ₹

(शब्दों में) ₹

हस्ताक्षर वाहन स्वामी

वाहन स्वामी का नाम.....

वाहन स्वामी का पूरा पता.....

.....

.....

मोबाईल नम्बर.....

ई—मेल आईडी.....

प्रारूप “अ”

प्रमाण पत्र

पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) के कार्यों हेतु निविदा प्रपत्र में निविदादाता/वाहन स्वामी द्वारा नया वाहन हेतु दी गयी निविदा दरें सफल होने पर वाहन स्वामी द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि में नया वाहन एवं वाहन से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र स्वहस्ताक्षरित कर, कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। नया वाहन उपलब्ध होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में संस्था के कार्यों को संचालन हेतु वाहन की व्यवस्था करायी जायेगी।

हस्ताक्षर वाहन स्वामी

वाहन स्वामी का नाम

पूरा पता.....

मोबाईल नम्बर

ई-मेल आईडी0

निविदा-प्रपत्र की अर्हतायें अनिवार्य अर्हताये :-

1. वाहन स्वामी का आधार कार्ड नम्बर की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति।
2. वाहन स्वामी का पैन कार्ड नम्बर की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति।
3. वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर सर्टिफिकेट की स्वप्रमाणित छाया प्रति, जिससे यह सुनिश्चित हो कि वाहन उत्तराखण्ड में पंजीकृत है एवं वाहन 05 (पाँच) वर्ष (1825 दिन) से अधिक पुरानी नहीं हो।
4. वाहन का बीमा पालिसी की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
5. वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
6. वाहन का टैक्सी परमिट की स्वप्रमाणित छाया प्रति, जिससे यह स्पष्ट हो सके, कि वाहन टैक्सी परमिट उत्तराखण्ड हेतु मान्य है।
7. निविदा -प्रपत्र का शुल्क ₹1180.00 (जी0एस0टी0सहित) की प्रति।
8. धरोहर धनराशि ₹25000.00 /- का बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0/कार्यालय में नकद जमा रसीद की मूलप्रति।

अन्य :-

9. नया वाहन उपलब्ध कराने की दशा में बिन्दु संख्या:- 3,4,5,6 लागू नहीं होगा, किन्तु इस बात का प्रमाण -पत्र संलग्न किया जायेगा, कि निर्धारित अवधि के भीतर निविदा में अंकित वाहन का क्रय कर लिया जायेगा एवं तदनुसार बिन्दु संख्या :- 3,4,5,6 की प्रतियाँ उपलब्ध करा दिया जायेगा।
10. निविदा में अर्ह निविदादाता के वाहन का निरीक्षण किया जायेगा तथा अनुबन्ध होने से पूर्व अनुबन्ध की शर्तों में वाहन से सम्बन्धित समस्त का भौतिक निरीक्षण कर लिया जायेगा तथा ताकि कमेटी द्वारा यह प्रमाण -पत्र निर्गत कर दिया जायेगा, कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप समस्त मानकों को वाहन पूर्ण कर रहा है, इसके उपरान्त ही वाहन हेतु अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी।
11. वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेन्स एवं उसकी वैधता की भी जाँच की जायेगी तथा उसके द्वारा अपना स्वास्थ्य-प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।

CATTLE FEED FACTORY RUDRAPUR (Udham singh nagar)
Bank Details for submission of tender fees & EMD
through RTGS/NEFT:

Name of account holder	CATTLE FEED FACTORY RUDRAPUR
Name of bank	Bank of Baroda
Branch	Civil Lines-Rudrapur (U.S.N)
Account number	24980100007624
Type	Saving Account
IFSC code	BARB0RUDRAP (अन्डरलाइन शब्द शून्य है)

निविदा हेतु नियम एवं शर्तें

(अर्ह निविदाकर्ता द्वारा ₹0 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर द्विपक्षीय अनुबन्ध किया जायेगा)

1. वाहन स्वामी अनुबन्धित किये गये वाहन को पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) के कार्यालय में रखेगा, व सम्बन्धित अधिकारी की अनुमति के बिना वाहन को कहीं भी नहीं ले जायेगा।
2. वाहन स्वामी द्वारा अनुबन्ध के दौरान कोई भी वाहन, जो 05 (पाँच) वर्ष (1825 दिन) से अधिक पुरानी वाहन की आपूर्ति नहीं की जायेगी। वाहन की आयु की गणना हेतु पंजीकरण तिथि को आधार माना जायेगा। आपूर्ति की जाने वाली वाहन उचित गुणवत्ता (**Excellent condition**) वाली होनी चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज-सज्जा यथा-सीट कवर, तौलिया, पढ़ने के लिये बिजली, फुटमैट आदि उत्कृष्ट क्वालिटी का होना आवश्यक है।
3. वाहन की जांच के उपरान्त ही वाहन का चयन किया जायेगा।
4. निविदा –प्रपत्र का शुल्क ₹1180.00 (जी.एस.टी. सहित) होगा, जिसे निविदा-प्रपत्र के साथ संलग्न बैंक विवरण के खाते में जमा किया जा सकता है अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो CATTLE FEED FACTORY नाम हो अथवा कार्यालय दिवस में नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकेगा।
5. वाहन स्वामी को ₹25,000.00/- (पच्चीस हजार) मात्र की धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत पत्र/एफडीआर/कार्यालय में नकद जमा रसीद की मूल प्रति के रूप में निविदा के साथ संलग्न करनी होगी, जो पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) के पास बंधक रहेगी।
6. सफल निविदादाता/वाहन स्वामी को वाहन की स्वीकृत दैनिक किराया दर के आधार पर तीन वर्षों की कुल किराया दर पर 05 % (प्रतिशत) की दर से जमानत धनराशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर, जो संस्था के पक्ष में देय हो, अथवा नकद धनराशि के रूप में जमा करनी होगी।
7. निविदा के साथ रजिस्ट्रेशन, टैक्सी परमिट, बीमा, प्रदूषण आदि से सम्बन्धित प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करनी होगी तथा नया वाहन उपलब्ध कराने की दशा में अधिकतम **01 माह** में उपरोक्त सभी अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे।
8. वाहन स्वामी की निविदा स्वीकृत होने पर वाहन का अनुबन्ध 03 वर्ष हेतु किया जायेगा। जिसे कार्य की आवश्यकतानुसार अधिकतम 06-06 माह हेतु विस्तारित किया जा सकता है।
9. वाहन का पंजीकरण उत्तराखण्ड में हो तथा टैक्सी परमिट उत्तराखण्ड का होना चाहिए।
10. वाहन कच्ची, पक्की सड़कों पर उपयोग किया जायेगा तथा रात्रि विश्राम किया जा सकता है।
11. वाहन का औसत माइलेज 12 (बारह) कि०मी० प्रति लीटर डीजल देय होगा।
12. वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईट बीमा, ब्रेक, इन्डीकेटर, वाईपर, शीशा दरवाजे एवं अन्य समस्त उक्त उपकरण उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।
13. वाहन नियमानुसार संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होनी चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा-पंजीयन, परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक लाइसेन्स आदि पर व्यय सभी प्रकार के सम्बन्धित व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जायेगे।

14. संस्था के स्टाफ को लाने-ले जाने हेतु वाहन निर्धारित मार्ग पर ही चलाना होगा।
15. वाहन का अनुरक्षण, परिवहन विभाग के मानकों के अनुसार होना चाहिए, सर्विसिंग एवं अन्य लुब्रिकैन्ट तथा मरम्मत आदि का वहन, वाहन स्वामी स्वयं करेगा।
16. सर्विसिंग आदि हेतु वाहन के अनुपस्थित होने की दशा में उस दिन का किराया अनुमन्य नहीं होगा अथवा वाहन की मरम्मत, दुर्घटना, एक्सीडेन्ट आदि स्थिति में दूसरा वाहन, वाहन स्वामी द्वारा विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
17. वाहन पर तैनात किये जाने वाला चालक वैध व्यवसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए। वाहन का चालक वाहन चलाने की दृष्टि से हृष्ट-पृष्ट (medically fit) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी, अनुशासित होना अपरिहार्य है।
18. आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे चालक, जो नशे के सेवन का आदि हो, को वाहन पर सेवायोजित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे चालक जो नशे का सेवन कर वाहन चलाने अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा किसी पुलिस वाद आदि में दोषी पाया गया हो, को भी वाहन में सेवायोजित नहीं किया जाएगा।
19. वाहन के किसी ऐसे चालक, जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ है अथवा उसका आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं है, को हटाने हेतु आपूर्तिकर्ता को निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता को तत्काल दूसरे चालक/स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।
20. पशु आहार निर्माणशाला मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।
21. आपूर्तिकर्ता का यह दायित्व होगा, कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि (imprest cash) उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईंधन मरम्मत अथवा वाहन सम्बन्धित अन्य व्यय किया जा सके।
22. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (breakdown) होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।
23. वाहन से सम्बन्धित सभी वैध व आवश्यक अभिलेख सदैव वाहन के साथ होना चाहिए।
24. वाहन के किराये का भुगतान माह समाप्त होने के उपरान्त किया जायेगा।
25. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
26. वाहन चालक के पास पर्वतीय/मैदानी क्षेत्र में वाहन संचालक हेतु वैद्य ड्राइविंग लाईसेन्स होना चाहिए। वाहन स्वामी द्वारा विभाग से प्राप्त ईंधन (डीजल) की खपत लॉगबुक में अंकित करने के पश्चात् देयक का भुगतान किया जायेगा, वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन चालक को वेतन एवं सभी सुविधाओं का भुगतान स्वयं वहन किया जायेगा।

27. वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।
28. आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुनः ठेके (sub-let) पर नहीं दिया जाएगा।
29. उपरोक्तानुसार ईंधन की आपूर्ति दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) लॉगबुक के आधार पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित वाहन स्वामी को वाहन में नियमित रूप से लॉग बुक रखना आवश्यक होगा और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्टि करते हुए उसे सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित करना होगा।
30. वाहन में नियमानुसार स्टेपनी, टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र (fire extinguisher) एवं डस्ट बैग भी वाहन स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।
- 31. भुगतान की रीति:—**
- (एक) कार्य की पूर्ति पर सम्बन्धित वाहन स्वामी को भुगतान मासिक के आधार पर किया जायेगा।
- (दो) आयकर नियमों के अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा भुगतान के समय आयकर की कटौती (टीडीएस) की जायेगी।
- 32. सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शक्ति/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण निम्नलिखित अवसरों पर कार्य प्रभारित प्रतिभूति को जब्त करते हुए दर पंजीकरण को समाप्त कर दिया जायेगा—**
- (एक) यदि वाहन स्वामी समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।
- (दो) वाहन स्वामी द्वारा प्रदान की जा रही सेवायें संतोषजनक नहीं हैं।
- 33. कर एवं अन्य देयकों का भुगतान:—**
- (एक) अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदेशों के कर, टोल टैक्स आदि का भुगतान वाहन स्वामी द्वारा किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का बिल/रसीद प्रस्तुत करने पर, विभाग द्वारा देय होगा।
34. परिवहन विभाग से सम्बन्धित सभी टैक्स व न्यायपालिका से सम्बन्धित कोई भी विवाद वाहन स्वामी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
35. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् नये वाहन क्रय की दशा में अनुबन्ध की तिथि से अधिकतम एक माह में नया वाहन क्रय कर उपलब्ध कराना होगा तथा अनुबन्ध की तिथि एवं नया वाहन क्रय की अवधि तक निविदादाता को वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी।
36. वाहन स्वामी को निविदा में स्वीकृत मासिक/दैनिक किराये के अतिरिक्त स्वीकृत डीजल की खपत की कीमत ही अनुमन्य होगी।
37. वाहन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख निविदादाता/वाहन स्वामी के नाम से होनी चाहिए।
38. प्राप्त निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सामान्य प्रबन्धक, पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) को होगा।

(04)

39. किसी विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा किया जायेगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।

मैंने उपरोक्त 1 से 39 तक सभी शर्तें भली-भांति पढ़ ली है और मैं उपरोक्त सभी शर्तों को मानने के लिये सहमत हूँ।

हस्ताक्षर वाहन स्वामी

वाहन स्वामी का नाम

पूरा पता.....

मोबाईल नम्बर

ई-मेल आईडी0